न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी)

राजस्व आवेदन सं. 145/2022

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मुस्ताक पुत्र शौकत अली 2. हफीज रहमान पुत्र शौकत अली 3. समसुदीन पुत्र शौकत अली 4. मलकबाई पत्नी शौकत अली जातियान मुसलमान निवासी बींजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. कुरबान अली पुत्र आमद अली 2. गुल मोहम्मद पुत्र आमद अली 3. मुमताज अली पुत्र अस्तुला 4. मोहम्मद अली पुत्र आमद अली 5. मिरिया पत्नी अस्तुला 6. मोहम्मद अली पुत्र गुल मोहम्मद जातियान मुसलमान निवासी बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 7. श्रीमान तहसीलदार (भूमिधारी) सेड़वा।

उपस्थित : प्रार्थीगण वकील – **श्री दोष मोहम्मद**

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

दिनांक 09.11.2022

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण मुस्ताक पुत्र शौकत अली वगैरा जाति मुसलमान निवासी बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 से 4 स्व. शोकतअली के वंशज है जिसकी वंशावली निम्नानुसार है–

शोकतअली

हफीज रहमान | मुस्ताक | समसुदीन | मलकबाई

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की सुयक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या वसीये का तला पटवार हल्का तालसर तहसील धनाऊ में खेत खसरा संख्या 140 क्षेत्रफल 11.5416 हैक्ट. व खेत खसरा संख्या 641/142 क्षेत्रफल 7.3976 हैक्ट. खसरा संख्या 142 क्षेत्रफल 7.3734 हैक्ट. किस्म बारानी दोयम मौजा मंगलिया पाडा [illegible] वा[illegible] त्र जानपालिया तहसील सेडवा में खेत खसरा संख्या 76 रकबा 41.18 [illegible] दोयम एवं प्रार्थी [illegible] आये हुए है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा जरिए रजिस[illegible] कयशुदा खातेदारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.14 10:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

मौजा जानपालिया पटवार हल्का जानपालिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 76 रकबा 41.18 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 154 रकबा 71.06 बीघा के आये हुए है। प्रार्थी संख्या 1 मुस्ताक का सही एवं वास्तविक नाम मुस्ताक ही है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्व. शोकतअली के फौतगी का नामान्तकरण पारित करते समय अलग–अलग जमाबंदियों/राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी मुस्ताक अंकित कर दिया है जो कि गलत अंकित किया गया है प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मुस्ताक ही है। समस्त सरकारी दस्तावेज में भी यही नाम अंकित है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 2 का हफीज रहमान का नाम भी राजस्व रेकर्ड में कहीं पर रहमान, कहीं पर हाफीज और कहीं पर हाफीज और रहमान को अलग–अलग व्यक्ति बताकर खातेदार दर्ज कर दिया है जिससे प्रार्थीगण के हिस्सेदारी प्रभावित हो गई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जानबुझकर आदम नाम से किसी व्यक्ति को शोकत अली का पुत्र बताकर खातेदार बना दिया है जबकि इस नाम का कोई भी शोकतअली का पुत्र ही नहीं था। शोकतअली के तीन ही पुत्र है हाफीजरहमान, मुस्ताक व समसुदीन। इस प्रकार राजस्व कर्मचारितयों की उक्त गलतियों की सजा प्रार्थीगण का भुगतान पड़ी रही है और भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण को उक्त त्रुटि का ज्ञान तब हुआ जब प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उसे इस त्रुटि का ज्ञान हुआ। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण मुस्ताक व हाफीजरहमान के नाम अलग–अलग कायम रखे जाते है तो प्रार्थीगण के खातेदारी हकूकों पर भारी कुठाराघात होगा। इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के सरकारी दस्तावेज में अंकित नाम अनुसार दुरस्त करवाने के अधिकारी है इसलिए रेकर्ड दुरस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। मौजा जानपालिया पटवार हल्का जानपालिया के खेत खसरा संख्या 628/156 रकबा 50.14 बीघा में स्व. शोकतअली के फौतगी का नामान्तकरण पारित कर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में सही तौर पर अमल दरामद किए गए है अतः [illegible] से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर [illegible] जांच रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रार्थीगण का नाम दुरस्त किया जावें। व आदम पुत्र शौकत अली, रहमान पुत्र शौकत अली, हाफीज पुत्र शौकतअली का नाम राजस्व रेकर्ड में हटाए जाकर मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.14 10:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

..लिया पटवार हल्का जानपालिया के खेत खसरा संख्या 628/156 रकबा 50.14 बीघा के राजस्व रेकर्ड में दर्शाए अनुसार प्रार्थीगण के नाम दुरस्त किए जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। विप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु न्यायालय में अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अतः उनका जवाब का अवसर बंद किया जाता है। इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा एवं तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी मुस्ताक अहमद पुत्र शौकत अली के स्थान पर **मुस्ताक पुत्र शौकत अली** तथा तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रहमान पुत्र शौकतअली व हाफिज पुत्र शौकतअली के स्थान पर **हाफिजरहमान पुत्र शौकतअली** कौम मुसलमान दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उक्त अनवान पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः **प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी मौजा जानपालिया पटवार हल्का जानपालिया के खेत खसरा संख्या 628/156 क्षेत्रफल 8.2070 हैक्ट. व मौजा मंगलिया पाड़ा पटवार** हल्का जानपालिया के खसरा संख्या 76 क्षेत्रफल 6.7825 हैक्ट. किस्म बारानी दोयम में मुस्ताक अहमद पुत्र शौकतअली के स्थान पर **मुस्ताक पुत्र शौकतअली** तथा ग्राम वसिये का तला पटवार हल्का तालसर तहसील धनाऊ के खेत खसरा संख्या 140 क्षेत्रफल 11.5416 हैक्ट. भूमि में प्रार्थीगण मुस्तफा पुत्र शौकतअली हि0 1/9 व आदम पुत्र शौकतअली हि0 1/9 के स्थान पर मुस्ताकअहमद पुत्र शौकतअली तथा इसी ग्राम के खसरा संख्या 14[illegible] 64[illegible] 142 कुल क्षेत्रफल 14.7710 हैक्ट. भूमि में प्रार्थीगण मुस्ताक पुत्र [illegible] दस्तावेजों यथा समस्त में प्रार्थीगण का नाम मुस्ताक पुत्र शौकतअली दर्ज है ज[illegible]ही है। ग्राम वसीये का तला पटवार हल्का तालसर तहसील धनाऊ के खसरा संख्या 142, 641/142 क्षेत्रफल 17.7710

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.14 10:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

भूमि में रहमान पुत्र शौकतअली व हाफिज पुत्र शौकतअली के स्थान पर हाफिजरहमान पुत्र शौकतअली कौम मुसलमान राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा एवं तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा एवं तहसील धनाऊ को आदेशित किया जाता हैं कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय में सार इजलास सुनाया गया

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.14 10:00:03 IST
Reason: SelfAttested